न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुंतला आरएएस

मु0नं0 – 109/2020 (2020/00180)

नन्दलाल पुत्र खुबीराम जाति जाट निवासी न्यांगल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
– वादी

बनाम

1. खुबीराम पुत्र पतराम जाति जाट निवासी न्यांगल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. गुड्डी देवी पुत्री खुबीराम जाति जाट निवासी न्यांगल तहसील भादरा हाल नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. एसबीआई बैंक शाखा बस स्टेण्ड के पास भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक एसबीआई बैंक भादरा तहसील भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरार हक

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री अदरीश अली एवं श्री हनुमान सहारण : वादी
वकील श्री संजय इन्दलिया एवं श्री आरिफ मोहम्मद
: प्रतिवादी सं0 1 व 2

निर्णय दिनांक : 08/9/21

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी के दादा पतराम के नाम से चक 9 बारानी तहसील भादरा के खाता सं0 30/18 के मु0नं0 4 के किला नं0 6, 15, 16, 25 कुल किता 4 की 1.0120 है0, मु0नं0 6 के किला नं0 1 ता 4 कुल किता 4 की 1.0120 है0 मु0नं0 8 के किला नं0 1, 20, 21 कुल किता 3 की 0.658 है0 यानि कुल किता 11 की 2.6820 है0 की 10 बीघा 0.728 बिस्वा कृषि भूमि तथा चक 16 एएमएस के खाता सं0 28/28 के मु0नं0 120 के किला नं0 4 ता 8, 13 ता 18, 21 ता 24 कुल किता 15 की 3.7820 है0 यानि 14 बीघा 0.728 बिस्वा पैतृक कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी के दादा पतराम की मृत्यु के बाद उक्त कुल भूमि कर्ता खानदान होने के कारण प्रतिवादी सं0 1 खुबीराम के नाम से कागजात माल में दर्ज हुई। वादी एवं प्रतिवादी सं0 2, प्रतिवादी सं0 1 के पुत्र व पुत्री है। पक्षकारान हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादी एवं प्रतिवादी सं0 2 का प्रतिवादी सं0 1 के साथ जन्म से बहिस्सा बराबर के हकदार है तथा अपने हक हिस्से के अनुसार ही काश्त करते आ रहे है।

प्रतिवादी सं0 2 प्रतिवादी सं0 1 की पुत्री है तथा उसकी शादी भी वादी एवं प्रतिवादी ने काफी धूमधाम से की है तथा प्रतिवादी सं0 2 ने अपने हक व हिस्सा अपने भाई वादी के हक में तर्क कर रखा है तब से वादी ही प्रतिवादी सं0 2 के हिस्से की कृषि भूमि को काश्त करता आ रहा है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादिया सं0 2 गुड्डी देवी ने जबाब दावा पेश किया।

साक्ष्य वादी में वादी नन्दलाल के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में चित्रप्रति प्रमाणित जमाबन्दी चक 9 बारानी के खाता सं0 30/18 सम्वत् 2074 से 77 प्रदर्श 1, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी चक 16 एएमएस के खाता सं0 28/28 सम्वत् 2074 से 77 प्रदर्श 2, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खसरा गिरदावरी सेटलमेन्ट विभाग चक

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

9 बारानी प्रदर्श 3, 4 प्रदर्शित करवाये एवं फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खसरा गिरदावरी सैटलमेन्ट विभाग व सदस्य प्रमाण पत्र पेश किये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने जाहिर किया कि वादी के दादा पतराम की मृत्यु के बाद उक्त कुल भूमि कर्ता खानदान होने के कारण प्रतिवादी सं0 1 खुबीराम के नाम से कागजात माल में दर्ज हुई। वादी एवं प्रतिवादी सं0 2 का प्रतिवादी सं0 1 के साथ जन्म से बहिस्सा बराबर के हकदार है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने वकील वादी की बहस मनन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। हस्तगत वाद वादी ने चक 9 बारानी व 16 एएमएस के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। वादी ने अपने दावा में चक 9 बारानी तहसील भादरा के खाता सं0 30/18 के मु0नं0 8 के किला नं0 1 के अलावा समस्त वाद कृषि भूमि को दादालाई कृषि भूमि होना साबित किया है जिसकी पुष्टि में वादी ने फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खसरा गिरदावरी सेटलमेन्ट विभाग चक 9 बारानी प्रदर्श 3, 4 प्रदर्शित करवाये एवं फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खसरा गिरदावरी सैटलमेन्ट विभाग की पेश की जिनमें वाद कृषि भूमि वादी के दादा पतराम वल्द गोकलराम के नाम दर्ज है जिससे वाद कृषि भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि होना साबित है एवं सदस्य प्रमाण पत्र में खुबीराम के वारिसान/सदस्यों में एक पुत्री गुडी देवी व एक पुत्र नन्दलाल होना अन्य कोई वारिस/सदस्य नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने योग्य है।

अत : वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक 9 बारानी तहसील भादरा के खाता सं0 30/18 के मु0नं0 4 के किला नं0 6, 15, 16, 25 कुल किता 4 की 1.0120 है0, मु0नं0 6 के किला नं0 1 ता 4 कुल किता 4 की 1.0120 है0 मु0नं0 8 के किला नं0 20, 21 कुल किता 2 यानि कुल किता 11 की 2.6820 है0 बारानी कृषि भूमि तथा चक 16 एएमएस के खाता सं0 28/28 के मु0नं0 120 के किला नं0 4 ता 8, 13 ता 18, 21 ता 24 कुल किता 15 की 3.7820 है0 नहरी मय खाला की कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में अकेले प्रतिवादी सं0 1 खुबीराम के बजाय वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 तीनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चक 9 बारानी तहसील भादरा के खाता सं0 30/18 के मु0नं0 8 के किला नं0 1 की कृषि भूमि को प्रतिवादी सं. 01 के नाम यथावत रखा जावे। चूंकि वाद कृषि भूमि एसबीआई बैंक शाखा भादरा के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्त घोषणा अनुसार वाद कृषि भूमि वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ..08/9/21.. को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

(शकुंतला R.A.S.)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़